न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–175/2000

CIS NO. TS-390/2019

अशर्फी राउत...वादी

बनाम

मु0 माया देवी एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
10.09.2024	वादी की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 18.05.2023 पर सुना। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 18.05.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में दिनांक 09.01.2023 को वादी की ओर से बयनामा दस्तावेज दिनांक 21.04.1942 नरसिंह महतो बनमा बैधनाथ साह की सच्ची प्रति दाखिल किया गया है जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि दाखिल दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि को ग्रहण करते हुये प्रदर्श अंकित करने की कृपा करें। इसके लिए वादी श्रीमान् के सदैव आभारी रहेगा। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 02.08.2023 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि वादी का आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों ही दृष्टिकोण से परिपालनीय नहीं बल्कि खारिज होने योग्य है। वाद को लंबित रखने के उद्देश्य से कोई न कोई आवेदन एवं कागजात दाखिल करते रहते है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागया को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–175/2000

CIS NO. TS-390/2019

अशर्फी राउत..वादी

बनाम

मु0 माया देवी एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **10.09.2024**	अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादी द्वारा दाखिल दस्तावेज वाद से संबंधित होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 18.05.2023 को मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दाखिल दस्तावेज को ग्रहण करते हुए प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 26.09.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	